निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण 1932 (श0)
(सं0 पटना 522)   पटना, सोमवार, 2 अगस्त 2010

विधि विभाग

अधिसूचना

2 अगस्त 2010

सं० एल0जी0-1-26/2010/लेज-184—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 25, 2010]

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010

प्रस्तावनाः- राजकोषीय समेकन के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिये राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित नियत करें ।

2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-2 में संशोधन ।—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 2 की उप-धारा (ठ) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा (ड) जोड़ी जायेगी :-

(ड) ''ऋण'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा ब्याज पर ली गई उधार की राशि ।

3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-3 में संशोधन ।—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-3 की उप-धारा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :-

''(क) राजकोषीय सुधार के मार्ग पर आने के लिये वर्ष 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करने पर वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 (तीन) प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करेगी और उसे उसके बाद बनाये रखना होगा ।''

4. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-9 में संशोधन ।—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-9(2)(ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :-

''(ख) वित्तीय वर्ष 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत करेगी एवं वर्ष 2011-12 में यह 3 प्रतिशत होगी और इसे वर्ष 2014-15 तक बनाये रखना होगा ।''

5. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा 9 में संशोधन ।—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-9 की उप-धारा 2 के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (ग) जोड़ा जायेगा :-

''(ग) ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिये क्रमशः 48.2, 46.4, 44.6, 43.0 एवं 41.6 तक लायेगी ।''

2 अगस्त 2010

सं० एल0जी0-1-26/2010/लेज-185—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2010 को अनुमत बिहार राजकोषीय (उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) (संशोधन) विधेयक, 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 25, 2010]

The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2010

AN
ACT

Preamble:- To amend The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 to provide amendment in fiscal targets as recommended by the 13th Finance Commission for application revised roadmap for fiscal consolidation and to make fiscal responsibility and budget management process more transparent and comprehensive.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty first year of the republic of India as follows :-

1. *Short title, Extent and Commencement* **-** (1) This Act may be called The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

2. *Amendment in section 2 of The Bihar Act 5, 2006*.—The following new sub-section (m) after sub-section (l) of section 2 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006).

(m) 'Debt' means amount taken by the State Government on credit with interest.

3. *Amendment in section 3 of The Bihar Act 5, 2006*.—Sub-section (a) of Section 3 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) shall be substituted by the following :-

" (a) for fiscal reform path the State on attaining a zero revenue deficit or revenue surplus in 2007-08 shall have to achieve a fiscal deficit of 3 percent of Gross State Domestic Product by 2011-12 and maintain such thereafter."

4. *Amendment in Section 9 of The Bihar Act 5, 2006*.—Section 9(2)(b) of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) shall be substituted by the following :-

" (b) in the financial year 2010-11 bring the fiscal deficit/Gross State Domestic Product ratio to 3.5 percent and it shall be 3 percent in 2011-12 and maintain such upto year 2014-15."

5. *Amendment in Section 9 of The Bihar Act 5, 2006*.—The following new clause (c) shall be added after clause (b) of sub-section 2 of section 9 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006):-

"(c) bring Debt as percent of Gross State Domestic Product in the financial year 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 to 48.2, 46.4, 44.6, 43.0 and 41.6 respectively."

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 522-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in